

दिनांक

अंश/साल 75 15/11/25

27/11/25

पत्रावली पेश हुई। वारी आदि. उप.) प्रतिवादी सं.
2 के आदि. उप.) परोकार सकार उप.) पत्रावली
में प्रतिवादी सं. 2 को जवाब उपलब्ध करने हेतु
न्यायाधीश में क्वैसट दिया जाता है। पत्रावली
वास्ते जवाब हेतु दिनांक 15/11/25 को पेश
हो।

[Signature]
27/11/25

[Signature]
B.C. ...
कार्यालय ...

15/11/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगित किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 27/11/25 को पेश हो।

[Signature]
आज्ञा सिरीस्कर

27/11/25

पत्रावली पेश हुई। वारी अनुपस्थित। प्रतिवादी परोकार
सकार अनुपस्थित। प्रतिवादी आधिवक्ता उपस्थित।
वारी एवं वारी आधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार
आवाजें लगाई गईं, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
वारी एवं वारी आधिवक्ता के उपस्थित नहीं आते पर
न्यायाधीश में पुनः एक बार आवाज लगाई गई। परन्तु
कोई उपस्थित नहीं आया। वारी एवं वारी आधिवक्ता के
उपस्थित नहीं आने से वारी उप उपलब्ध वार भन्तर्गत
धारा 88, 188 शपथमान काश्तकारी आधीनियम को
अदम लागू। अदम पेशकी में खारिज किया जाता
है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। रिश्ती पेश
वारी हो।

पत्रावली नुसल नुमार होकर वापस कर
ले तथा नम्बर से कम हो।

[Signature]
27/11/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. बंशीलाल पुत्र घीसाजी जाति खटीक उम्र 50 वर्ष निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गणेश पुत्र घीसाजी जाति खटीक उम्र 50 वर्ष निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद — घोषणा व इन्द्राज दुरुस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 279/2011 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 27.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा